इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पाइपलाइन्स प्रभाग, ई. आर. पी. एल. निर्माण कार्यालय, पटना,
हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना -801503
Indian Oil Corporation Limited
Pipelines Division ERPL Construction Office Patna
Hira Niketan, Kaliket Nagar, Bailey Road Patna-801503
Phone: Off. 06115234324 / 128

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

इंडियनऑयल
IndianOil

पाइपलाइन्स प्रभाग
Pipelines Division

933
04/11/2020

IOCL/ERPL/CGD/BGP/Forest/Munger/10.02/01 Date: 30.10.2020

To,
Nodal Officer,
APCCF, Patna, Bihar

Sub: Request for NOC for laying of Steel network under City Gas Distribution Project – Bhagalpur along the Notified forest roads.

Your Letter Reference No: व०स०/22/2020-875 Dated-28.09.2020

Dear Sir,

IndianOil has been awarded City Gas Distribution (CGD) project for the geographical area in Bihar which consists of Lakhisarai, Munger and Bhagalpur districts by PNGRB Board. Under this project, major works envisaged are design of CGD network, pipeline laying, network for PNG and CNG connections etc., which has to be achieved as per PNGRB guidelines.

In reference to demand note letter व०स०/22/2020-875 Dated-28.09.2020, IOCL has deposited the net project value (NPV) of total amount **Rs. 800998/-(UTR NO. SBIN320304443536**).E- challan of the same is enclosed for your reference.

Since this is a time bound project of National importance, contributing to national prosperity, we solicit your most expeditious action to grant the NOC for laying the pipeline along the Notified forest lands.

Thanking You,

Yours Sincerely,

30/10/2020

Chief General Manager (Construction)
ERPL, Patna

Encl:

1) Questionnaire
2) E Challan
3) Undertaking

एस.के.नन्दी/S.K NANDY
मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण)/Chief General Manager (Const.)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corp. Ltd.
प्रोजेक्ट निर्माण कार्यालय, पटना/Project Construction Office, Patna
हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना-801503
Hira Niketan Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna-801503

30.10.2020

(33)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 15-10-2020

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	7244265777
MoEF/SG File No.	FP/BR/PIPELINE/44265/2020
Location.	BIHAR
Address.	ERPL Pipelines Construction OfficePatna
Amount(in Rs)	800998/-

Amount in Words :Eight Lakh Nine Hundred and Ninety-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150627244265777 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies m
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

भारतीय स्टेट बैंक Boring Rd. Branch Alankar Palace, Patna
1 - OCT 20
MINAKSHI
PF No.-83

SBIN
32030444353 6

भारतीय स्टेट बैंक / STATE BANK OF INDIA
ALANKAR PLACE, BORING ROAD, PATNA (1455)
30 OCT 2020
P.F. No.-
3773515

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) - सह - नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना से निर्गत पत्रांक - व॰स॰/22/2020-875 दिनांक-28.09.2020 का अनुपालन प्रतिवेदन

क्रम सं॰	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) के पत्र में उल्लेखित शर्त	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की टिप्पणी
1.	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैज्ञानिक स्वरूप यथावत रहेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
2.	अपयोजित होने वाली 2.5591 हे॰ वन भूमि का NPV प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई॰), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा। इसके तहत 6.26 लाख रु॰ प्रति हे॰ की दर पर कुल रु॰ 1601997/- की 50% राशि रु॰ 800998/- (रूपये आठ लाख नौ सौ अनथानवे) मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।	जैसा कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र सं०-व॰स॰/22/2020-875 दिनांक-28.09.2020 के अनुपालन में 800998/- रुपये NPV के मद में बिहार कैम्पा अकाउंट में जमा कर दिया गया है।
3.	NPV मद की कुल राशि 800998/- (रूपये आठ लाख नौ सौ अनथानवे) मात्र को मंत्रालय के वेब-साइट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराया जायेगा।	क्रमांक - 02 के अनुसार NPV के मद के लिये कुल मांग रुपया 800998/- (रूपये आठ लाख नौ सौ अनथानवे) को UTR No.-SBIN320304443536 दिनांक-30.10.2020 से बिहार कैम्पा अकाउंट में जमा कर दिया गया है। प्रति संलग्न है। (**अनुलग्नक-क**)
5.	उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाएगी।	जमा कि गयी राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के e-portal पर प्रदर्शित हैं। साथ ही UTR की मूल प्रति इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पत्र सं०-10.02 दिनांक-30.10.2020 से विभाग को उपलब्ध करा दी गयी हैं।
6.	प्रयोक्ता एजेंसी को इस आशय की वचनबद्दता देनी होगी की NPV के दर में वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।	सहमति पत्र संलग्न है। (**अनुलग्नक-ख**)
7.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
8.	वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामाग्री निकालने के लिए नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामाग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
9.	भूमि की सतह से पाईपलाइन 1.5 मीटर नीचे बिछाई जायेगी। पाईपलाइन बिछाने के बाद भूमि को समतल किया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
10.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना लागत पर यथासंभव तकनीकी रूप से वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद से परामर्श प्राप्त कर उनके निर्देशन में परियोजना स्थल के आस-पास यथा संभव उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराएगी।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
11.	वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामाग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये वन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
12.	वन क्षेत्र के भीतर मज़दूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
13.	वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से

30.10.2020

30/10/2020

एस.के.नन्दी/S.K NANDY
मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण)/Chief General Manager (Const.)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corp. Ltd.
प्रोजेक्ट निर्माण कार्यालय, पटना/Project Construction Office, Patna
हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना-801503
Hira Niketan Kalikat Nagar, Bailey Road, Patna-801503

	मज़दूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की वन एवं वन्यप्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्यकारी एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहें हैं।	सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
14.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
15.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किए जायेंगे।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
16.	यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्तें आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।
17.	उपभोक्ता अभिकरण [मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण), इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि॰, पटना] अपयोजित वन भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकार/विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन / हस्तान्तरण / अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रस्ताव से सहमत है एवं इसका अनुपालन किया जाएगा।

30/10/2020

30.10.2020

एस.के.नन्दी/S.K NANDY
मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण)/Chief General Manager (Const.)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corp. Ltd.
प्रोजेक्ट निर्माण कार्यालय, पटना/Project Construction Office, Patna
हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना-801503
Hira Niketan Kalliket Nagar, Bailey Road, Patna-801503

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पाइपलाइन्स प्रभाग, ई. आर. पी. एल. निर्माण कार्यालय, पटना,
हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना -801503
Indian Oil Corporation Limited
Pipelines Division ERPL Construction Office Patna
Hira Niketan, Kaliket Nagar, Bailey Road Patna-801503
Phone: Off. 06115234324 / 128

भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

इंडियनऑयल
IndianOil

(30)

पाइपलाइन्स प्रभाग
Pipelines Division

IOCL/ERPL/CGD-BGP/Forest/Munger/10.02 Date: 30.10.2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In reference to your letter no. **व॰स॰/22/2020-875 Dated-28.09.2020**, issued by Additional Principal Chief Conservator of Forest (CAMPA) Patna, it is to certify that Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Patna agrees to pay additional amount of NPV, if so demanded on account of increasing NPV rate.

For and on behalf of IOCL

30/10/2020
(S.K.Nandy)
Chief General Manager
ERPL, Patna

एस.के.नन्दी/S.K NANDY
मुख्य महाप्रबंधक (निर्माण)/Chief General Manager (Const.)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corp. Ltd.
प्रोजेक्ट निर्माण कार्यालय, पटना/Project Construction Office, Patna
हीरा निकेतन, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना-801503
Hira Niketan Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna-801503

30.10.2020

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमण्डल मुंगेर।

किला क्षेत्र, मुंगेर –811201 (फोन/फैक्स नं0 06344–223321)
Email-dfowildlifemunger@gmail.com

पत्रांक– 209

प्रेषक,

गौरव ओझा, (भा0व0से0)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
मुंगेर वन प्रमंडल मुंगेर।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

मुंगेर, दिनांक– 28/01/2021

विषय :– **मुंगेर जिलान्तर्गत मुंगेर–मोकामा पथ के किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अंतर्गत CNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.7675 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव से संबंधित FRA 2006 प्रमाण–पत्र समर्पित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– जिला पदाधिकारी, मुंगेर का पत्रांक–74/रा0 दिनांक–14.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मुंगेर जिलान्तर्गत मुंगेर–मोकामा पथ के किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अंतर्गत CNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.7675 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव से संबंधित FRA 2006 प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ है। जिसे मूल रूप में इस पत्र के साथ अत्र–सह–संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु0 :– यथोक्त।
FRA-2006 प्रमाण–पत्र
मूल रूप में।

विश्वासभाजन,

28/1/2021

वन प्रमंडल पदाधिकारी
मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर।

28/1/2021

(कैम्पा एवं वन संरक्षण शाखा) 131 दिनांक 02/02/2021

01.2.2021

समाहरणालय, मुंगेर

(राजस्व शाखा)

पत्रांक ....74..../रा0 दिनांक ....14.01.2021..../

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर।

कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी
पत्रांक- 118
दिनांक- 16/01/2021
मुंगेर

विषय :- मुंगेर जिलान्तर्गत मुंगेर-मोकामा पथ के किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अंतर्गत सी0एन0जी0 पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.7675 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव से संबंधित एफ0आर0ए0 2006 प्रमाण-पत्र का प्रेषण।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 1016, दिनांक 12.06.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में मुंगेर जिलान्तर्गत मुंगेर-मोकामा पथ के किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अंतर्गत सी0एन0जी0 पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.7675 हे0 वन भूमि अपयोजन हेतु अंचल अधिकारी, जमालपुर एवं अंचल अधिकारी, धरहरा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर एफ0आर0ए0 2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनुलग्नक-यथोपरि।

विश्वासभाजन

14.1.21

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

(34)

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, मुंगेर के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि **मुंगेर** जिले में प्रयोक्ता एजेंसी **इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड** द्वारा **सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, मुंगेर** रैखिक परियोजना निर्माण स्थान **एन0एच0 80 बाहाचौकी** से **तेलिया तलाब होते हुए आगमन पेट्रोल पंप से बांक काली मंदिर तथा एन0एच0 80 से बड़ी पुल जमालपुर** तक कुल किलोमीटर **180** में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के **0.7675** हे0 रकवा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, **मुंगेर** के पत्रांक **1016** दिनांक **12.06.2020** द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तद्आलोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षो से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

14.1.21

स्थान :
तिथि :

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर
एवं मोहर

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes as per the Ceusus-2011 and the Census-2011

14.1.21

Place :
Dated :

District Magistrate
and Office Seal

समाहरणालय–लखीसराय

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक 459 */रा0, दिनांक* 01.7.2020

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
लखीसराय।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

विषय :– लखीसराय जिलान्तर्गत मोकामा–मुंगेर पथ के किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.7916 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव से संबंधित FRA 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक–1017 दिनांक–12.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के आलोक में लखीसराय जिलान्तर्गत मोकामा--मुंगेर पथ के किनारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना अन्तर्गत CNG पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.7916 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव से संबंधित FRA 2006 प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में संलग्न कर अग्रेतर कार्यार्थ भेजी जा रही है।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन

समाहर्त्ता, लखीसराय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
निर्गत संख्या 562
दिनांक 17/07/2020
(विकास एवं वन संरक्षण संभाग)

कार्यालय, जिला पदाधिकारी लखीसराय के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु **FRA 2006** का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10 2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या.......................... दिनांक..........................

प्रमाणित किया जाता है कि लखीसराय जिले में प्रयोक्ता एजेंसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० द्वारा पाईपलाईन (प्राकृतिक गैस) रैखिक परियोजना निर्माण स्थान मोकामा से मुंगेर तक कुल किलोमीटर 52.1165 Km में पड़ने वाले पथ / नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 1.7916 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु दिनांक- 12.06.2020 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है ।

तदआलोक में प्रस्ताव के जॉचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षो से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया हैं और पिरियोजना क्षेत्र के गॉवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आवादी नहीं है ।

स्थान–

तिथि--

जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर
एवं मोहर

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census- 2011.

Place:

Dated:

District Magistrate
and Office Seal